रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022022-233216 CG-DL-E-08022022-233216

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] No. 98] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2022/माघ 18, 1943 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2022/MAGHA 18, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2022

सा.का.िन. 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खिनज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 14 अगस्त, 2015 में सा.का.िन. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा (2) में, क्रम संख्या (झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"(झ) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, खोज का भारसाधक, खान मंत्रालय- सदस्य सचिव, पदेन"

[फा.सं.11/8/2015-एम.आई.] संयज लोहिया, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा. का. नि. 633(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

819 GI/2022 (1)

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2022

G.S.R. 100(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9C of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby amends the notification published by the Government of India, Ministry of Mines vide number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14th August, 2015 namely:-

In the said notification, in para (II), for serial number (i) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(i) Additional Secretary or Joint Secretary, in-charge of Exploration, Ministry of Mines-Member Secretary, ex officio;".

[F.No.11/8/2015-M.I]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 633(E), dated the 14th August, 2015.